भा0कृ0अनु0प0–भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान
ICAR-INDIAN INSTITUTE OF PULSES RESEARCH
कल्यानपुर, कानपुर–208024 (उ.प्र.)
KALYANPUR, KANPUR – 208024 (U.P)
(An ISO 900:2008 certified Institute)
Fax: 0512- 2580992, Telephone No. : 0512-2580986, 0512-2980009

सरकारी आवास के परिवर्तन/नये आवंटन हेतु आवेदन पत्र

1- नाम :

2- पदनाम :

3. क्या कर्मचारी स्थायी/अस्थायी है ? : स्थायी/अस्थायी

4. सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) पर सेवा निवृत्ति की तिथि :

5. क. क्या अधिकारी/कर्मचारी अ.पि. वर्ग/अनु. : हाँ/नहीं
अनुसूचित जनजाति का है?

ख. क्या आप सामान्य सूची अथवा अ.पि. वर्ग / :
अनु. जाति / अनु. जनजाति सूची में विचार करवाना
चाहते हैं ?

6- क. भा.द. अ.सं. में कार्य करने की तिथि :

ख. यदि आवेदक वर्तमान नियुक्ति से पूर्व भा.कृ.अनु.सं.- :
परिषद्/ उसके किसी संस्थान/केंद्र अथवा भारत
सरकार/राज्य सरकार के किसी विभाग संगठन/ स्वायत्त
निकाय सार्वजनिक उपक्रम अथवा अन्य सरकारी संस्थान
में कार्यरत रहा हो तथा उचित माध्यम से वर्तमान पद
पर नियुक्त हुआ हो, तो संबंधित विभाग/संगठन का नाम,
पदनाम एवं सेवा अवधि का संक्षिप्त विवरण दें :

7. उन अवधियों के विवरण, जब भी प्रतिनियुक्ति या :
प्रशिक्षण या विदेश सेवा कार्य पर रहे हों।

8. वर्तमान पे लेवल एवं मूल वेतन :

9. किस वर्ग के आवास के हकदार हैं? : टाईप I/टाईप II/टाईप III/टाईप IV/टाईप V

10. यदि पात्रता से नीचे की श्रेणी हेतु आवेदन करना
चाहते हों, तो इच्छित आवास श्रेणी का उल्लेख करें :

11. आवेदक का वर्तमान रिहायश का पूरा पता :

12. क्या आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के :
नाम कानपुर नगर महापालिका सीमा के भीतर
अपना मकान है?

13. क्या आवेदक विशिष्ट पदधारियों के नियमों के :
अधीन आरक्षित आवास का हकदार है? यदि है :
बताएः–

अ. पद का विवरण दें। :

ब. वह तारीख जब से उस पद पर लगातार नियुक्त हैं। :

14. अन्य कोई सम्बन्धित ज़ानकारी,

1. मैं प्रमाणित तथा घोषणा करता /करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिए गये तथ्य मेरी जानकारी तथा विश्वास से पूर्णतः सही है तथा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है
2. कि मैने भा0द0अनु0सं0 (आवास आवंटन) के नियम, 1982 तथा उनमें समय–समय पर किये गये समाधान पूर्णतः पढ़ एवं समझ लिये हैं।
3. कि मेरे नाम किया गया आवंटन भा0द0अनु0सं0 (आवास आवंटन) के नियम, 1977 तथा उनमें समय–समय पर किये गये संशोधनों के अधीन विचारणीय होगा।
4. कि यदि मेरे द्वारा दी गयी कोई भी सूचना अथवा घोषणा गलत अथवा झूठ अथवा अपूर्ण पायी जाती है, तो मेरे नाम किये गये मकान का आवेदन रद्द किया जा सकता है या मेरे विरूद्ध उचित कार्यवाही की जा सकती है।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक हस्ताक्षर

पे लेवल के अनुसार हकदारी का विवरण :

क्रम सं.	पे मैट्रिक्स में लेवल	आवासों के प्रकार
1.	1	I
2.	2,3,4,5	II
3.	6,7,8	III
4.	9,10,11	IV
5.	12,13,13-A	V

अग्रता सम्बन्धी नियम :

अ. टाईप 1,2,3 व 4 आवास के लिए **अग्रता तारीख वह** तारीख है जिस दिन से अधिकारी बाहय सेवा की अवधि सहित भा0कृ0अनु0प0 की लगातार सेवा में है।

ब. टाईप 5, 5–अ तथा 5–ब के लिए अग्रता तारीख से तात्पर्य उस तारीख से है जिससे अधिकारी भा0द0अनु0प0 की सेवा में (बाहय सेवा शामिल करके परन्तु छुट्टियों की अवधि छोड़कर) लगातार उक्त टाईप से सम्बन्ध परिलब्धियाँ ले रहा है। अग्रता तारीख परिलब्धियों को वास्तविक प्राप्ति दर पर आधारित होगी और काल्पनिक आधार पर निर्धारित नहीं की जायेगी। परिलब्धियों में कोई विच्छेद होने की दशा में अग्रता तारीख बाद की वह तारीख होगी, जिससे अधिकारी ने निर्धारित परिलब्धियाँ लगातार देना प्रारम्भ किया है।

स. आवास के आवंटन के लिए अधिकारी की अग्रता तारीख परिषद के अधीन किसी भी पद पर लगातार नियुक्ति ग्रहण करने की सबसे पहली तारीख होगी, जिसमें अधिकृत अनुपस्थिति, प्रति नियुक्ति, बाहय सेवा प्रशिक्षण छुट्टी आदि की अवधियाँ भी सम्मिलित होगी।

भा0कृ0अनु0प0–भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान
ICAR-INDIAN INSTITUTE OF PULSES RESEARCH
कल्यानपुर, कानपुर–208024 (उ.प्र.)
KALYANPUR, KANPUR – 208024 (U.P)
(An ISO 900:2008 certified Institute)
Fax: 0512- 2580992, Telephone No. : 0512-2580986, 0512-2980009

APPLICATION FORM FOR CHANGE OF RESIDENTIAL ACCOMMODATION / FRESH ALLOTMENT

1. Name: .....

2. Designation: .....

3. Whether the employee is Permanent / Temporary: .....

4. Date of Retirement on Superannuation: .....

5. (a) Whether the officer/employee belongs to OBC / SC / ST category? : Yes / No

(b) Whether the applicant wishes to be considered under the General List or OBC / SC / ST List?

.....

6. (a) Date of joining ICAR-IIPR: .....

(b) If the applicant was employed, prior to the present appointment, in ICAR Headquarters, any of its Institutes/Centres, any Department/Organisation of the Central or State Government, an autonomous body, public sector undertaking or any other Government institution, and was appointed to the present post through proper channel, furnish brief particulars of the Department/Organisation, designation and period of service:

.....

7. Details of periods, if any, spent on deputation, training or foreign service:

.....

8. Present Pay Level and Basic Pay : .....

9. Type of residential accommodation for which the applicant is eligible:

Type-I / Type-II / Type-III / Type-IV / Type-V

10. If applying for accommodation of a lower type than the one for which eligible, indicate the type of accommodation desired :

11. Complete residential address of the applicant at present:

.....

12. Whether the applicant or any member of the applicant's family owns a house within the municipal limits of Kanpur Nagar? Yes / No

13. Whether the applicant is entitled to reserved accommodation under the rules applicable to specified office-holders? If yes, furnish the following details:

(a) Particulars of the post: .....

(b) Date from which continuously holding the said post: .....

14. Any other relevant information:

.....

DECLARATION

I hereby certify and declare that:

1. The particulars furnished in this application are true and correct to the best of my knowledge and belief, and no material fact has been concealed.
2. I have fully read and understood the ICAR (Allotment of Residences) Rules, 1982, and the amendments made thereto from time to time.
3. The allotment of accommodation in my favour shall be considered in accordance with the ICAR (Allotment of Residences) Rules, 1977, and the amendments made thereto from time to time.
4. If any information or declaration furnished by me is found to be incorrect, false or incomplete, my application for allotment of accommodation may be cancelled, or appropriate action may be taken against me.

Place: .....

Date: .....

Signature of the Applicant

ENTITLEMENT OF RESIDENTIAL ACCOMMODATION ACCORDING TO PAY LEVEL

S.N.	Level in the Pay Matrix	Type of Accommodation
1.	1	I
2.	2,3,4,5	II
3.	6,7,8	III
4.	9,10,11	IV
5.	12,13,13-A	V

RULES REGARDING SENIORITY

(a) For Type-I, Type-II, Type-III and Type-IV accommodation:

The priority date shall be the date from which the officer has been in continuous service under ICAR, including the period of foreign service.

(b) For Type-V, Type-V-A and Type-V-B accommodation:

The priority date shall be the date from which the officer has been continuously drawing the emoluments corresponding to the respective type of accommodation while serving under ICAR, including the period of foreign service but excluding periods of leave.

The priority date shall be determined on the basis of actual receipt of such emoluments and not on a notional basis. In case of any break in the receipt of such emoluments, the later date from which the officer starts drawing the prescribed emoluments continuously shall be treated as the priority date.

(c) For the purpose of allotment of accommodation:

The priority date of an officer shall be the earliest date of continuous appointment to any post under the Council, including periods of authorised absence, deputation, foreign service, training, leave, etc.